प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में 'भारतीय रेल के भारी ट्रैफिक खण्डों में ट्रैक का अनुरक्षण' लेखापरीक्षा के निष्कर्षो को शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में उन मामलों का ब्यौरा दिया गया है जो अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा जांच मे देखे गए तथा उन मामलों को भी शामिल किया गया है जो पूर्व वर्षों में देखने में आए, परंतु विगत वर्षों के प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए।

लेखापरीक्षा जाँच भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।